उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या-01/2025/6/12/73 /141/47/-का-2-2024/T.C.IV(III)

लखनऊ: दिनॉक 29 सितम्बर, 2025

<u>अधिसूचना</u>

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली,1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (चौदहवाँ संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1)यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (**चौदहवाँ** संशोधन) नियमावली, 2025 कही जायेगी।

2-(2)यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का प्रतिस्थापन

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 5(1)(एक) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

नियम-5(1)-मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुये, सरकारी सेवा में किसी पद पर ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्तिः-

(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता होः

नियम-5(1)-मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुये, सरकारी सेवा में किसी पद पर ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हों, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्तिः-

(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता होः

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

परन्तु यह कि, यदि नियुक्ति किसी ऐसे पद पर की जाती है जिसके लिए टंकण को एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित किया गया है, और मृत सरकारी सेवक के आश्रित के पास टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं है, तो उसे इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर लेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक ली जायेगी, और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिए उसे अग्रेतर एक वर्ष की अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का आदेश जारी किया जाएगा। इस प्रकार प्रदान की गई नियुक्ति प्रतिवर्तन न होकर नई नियुक्ति समझी जाएगी। यदि वह नियत समय के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी,

परन्तु यह और भी कि, यदि नियुक्ति किसी ऐसे पद पर की जाती है जिसके लिए टंकण को एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित किया गया है, और मृत सरकारी सेवक के आश्रित के पास टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं है, तो उसे इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर लेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक ली जायेगी, और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिए उसे अग्रेतर एक वर्ष की अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का आदेश जारी किया जाएगा। इस प्रकार प्रदान की गई नियुक्ति प्रतिवर्तन न होकर नई नियुक्ति समझी जाएगी। यदि वह नियत समय के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी,

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

परन्तु यह और कि, किसी ऐसे पद पर नियुक्ति किए जाने की दशा में, जिसके लिए कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित की गयी है और मृत सरकारी सेवक का आश्रित कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्त कर लिया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में डी0 ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसायटी द्वारा प्रदत्त सी0सी0 सी0 प्रमाण-पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण-पत्र के साथ-साथ टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक ली जायेगी, और कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए उसे एक वर्ष की अग्रेतर अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि बढायी गई अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने में विफल

परन्तु यह और भी कि, किसी ऐसे पद पर नियुक्ति किए जाने की दशा में, जिसके लिए कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित की गयी है और मृत सरकारी सेवक का आश्रित कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्त कर लिया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में डी0ओ0ई0ए0 सी0सी0 सोसायटी द्वारा प्रदत्त सी0सी0सी0 प्रमाण-पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण-पत्र के साथ-साथ टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक ली जायेगी, और कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए उसे एक वर्ष की अग्रेतर अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि बढायी गई अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने में विफल

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

रहता है तो उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का आदेश जारी किया जाएगा। इस प्रकार प्रदान की गई नियुक्ति प्रतिवर्तन न होकर नई नियुक्ति समझी जाएगी। यदि वह नियत समय के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।

रहता है तो उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का आदेश जारी किया जाएगा। इस प्रकार प्रदान की गई नियुक्ति प्रतिवर्तन न होकर नई नियुक्ति समझी जाएगी। यदि वह नियत समय के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी,

"परन्तु यह और भी कि मृत सरकारी सेवक जिस समूह में मृत्यु के समय कार्यरत था, मृत सरकारी सेवक के आश्रित को उस समूह से उच्चतर समूह में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह और कि मृत सरकारी सेवक के आश्रित को केवल समूह "ग" के पद (ऐसी सेवाओं और पदों को छोड़कर, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परिधि के भीतर आते हैं या जो पूर्व में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परिधि के भीतर थे और बाद में उन्हें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परिधि के भीतर रख दिया गया है) और समूह "घ" के पदों पर नियुक्त किया जाएगा।

आज्ञा से,

एम0 देवराज

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.6/12/73/141/47/-Ka-2-2024 T.C.IV(III) dated 29 september,2025

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
PERSONNEL SECTION-2
NOTIFICATION

Miscellaneous

No.01/2025/6/12/73/141/47/-Ka-2-2024/ T.C.IV(III)

Lucknow, Date 29 September,2025

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974:

THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDANTS OF GOVERNMENTSERVANTS DYING IN HARNESS (FOURTEENTH AMENDMENT) RULES, 2025

Short title and commencement

1.(1) These rules may be called The Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness (FourteenthAmendment) Rules,2025

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

(2) They shall come into force at once.

Substitution of rule 5

2. In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules,1974, for existing rule 5(1)(i) set out in column 1below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN 1	COLUMN 2
Existing rule	Rule as hereby substituted
5.(1) Recruitment of a member of the family of the deceased-In case a Government servant dies in harness after the commencement of these rules, and the spouse of the deceased Government servant is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government, one member of	5.(1) Recruitment of a member of the family of the deceased-In case a Government servant dies in harness after the commencement of these rules, and the spouse of the deceased Government servant is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government, one member of his family who is not already employed under the Central

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

his family who is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government shall, on making an application for the purpose, be given a suitable employment in Government Service on a post except the post which is within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission, in relaxation of the normal recruitment rules, if such person-

Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government shall, on making an application for the purpose, be given a suitable employment in Government Service on a post except the post which is within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission, in relaxation of the normal recruitment rules, if such person-

(i) fulfils the educational qualifications prescribed for the post:

Provided that in case appointment is to be made on a post for which typewriting has been prescribed as an essential qualification and the dependent of the deceased

(i) fulfils the educational qualifications prescribed for the post:

Provided that in case appointment is to be made on a post for which typewriting has been prescribed as an essential qualification and the dependent of the deceased Government servant does not possess the

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

Government servant does not possess the required proficiency in typewriting, he shall be appointed subject to the condition that he would acquire the requisite speed of 25 words per minute in typewriting well within one year and if he fails to do so, his general annual increment shall be withheld and a further period of one year shall be granted to him to acquire the requisite speed in typewriting and if in the extended period also he again fails to acquire the requisite speed in typewriting, then an order will be issued to provide him appointment on the post of class IV. The appointment so granted shall be deemed to be a fresh appointment and shall not be reversion. If he does not join the post of class IV within stipulated time his services will be terminated,

required proficiency in typewriting, he shall be appointed subject to the condition that he would acquire the requisite speed of 25 words per minute in typewriting well within one year and if he fails to do so, his general annual increment shall be withheld and a further period of one year shall be granted to him to acquire the requisite speed in typewriting and if in the extended period also he again fails to acquire the requisite speed in typewriting, then an order will be issued to provide him appointment on the post of class IV. The appointment so granted shall be deemed to be a fresh appointment and shall not be reversion. If he does not join the post of class IV within stipulated time his services will be terminated,

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

Provided further that in case appointment is to be made on a post for which the knowledge of computer operation and typewriting has been prescribed as an essential qualification and the dependent of the deceased Government servant does not possess the required proficiency in computer operation and typewriting, he shall be appointed subject to the condition that he would acquire the 'C.C.C' certificate in computer operation awarded by the DOEACC Society or a certificate equivalent thereto from an Institution recognised by the Government together with the required speed of 25 words per minute in typewriting well within one year and, if he fails to do so, his general annual increment shall be withheld and a further period

Provided also that in case appointment is to be made on a post for which the knowledge of computer operation and typewriting has been prescribed as an essential qualification and the dependent of the deceased Government servant does not possess the required proficiency in computer operation and typewriting, he shall be appointed subject to the condition that he would acquire the 'C.C.C' certificate in computer operation awarded by the DOEACC Society or a certificate equivalent thereto from an Institution recognised by the Government together with the required speed of 25 words per minute in typewriting well within one year and, if he fails to do so, his general annual increment shall be withheld and a further period of one year shall be granted to him to acquire the required certificate in computer

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

of one year shall be granted to him to acquire the required certificate in computer operation and the required certificate in computer operation and the required speed in typewriting and if in the extended period also he again fails to acquired certificate in computer operation and the required speed in typewriting, then an order will be issued to provide him appointment on the post ofclass IV. The appointment so granted shall be deemed to be a fresh appointment and shall not be reversion. If he does not join the post of class IV within stipulated time his services will be terminated.

operation and the required certificate in computer operation and the required speed in typewriting and if in the extended period also he again fails to acquired certificate in computer operation and the required speed in typewriting, then an order will be issued to provide him appointment on the post ofclass IV. The appointment so granted shall be deemed to be a fresh appointment and shall not be reversion. If he does not join the post of class IV within stipulated time his services will be terminated,

"Provided also that the dependent of the deceased Government servant shall not be appointed in a group higher than the group in which the deceased Government servant

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

was working at the time of death.

Provided further that the dependent of deceased Government servant will be appointed only to the post of Group "C" (except services and posts, which are with in the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission or were previously with in the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission and have later on been placed with in the purview of the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission) and Group "D" posts.

By order,

(M. Devaraj)

Principal Secretary.

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।